

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/आर-1/सेवानिवृत्ति/2017/905


दिनांक-27/11/2017

आदेश

श्रीमती मरियम्मा ए.पी. महिला स्वास्थ्य दर्शिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोर्डिया, फलोदी जिला जोधपुर जिनकी जन्म तिथि 05.11.1957 है के द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.11.2017 को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/आर-1/सेवानिवृत्ति/2017/905

दिनांक:-27/11/2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिका के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन, जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फलोदी (जोधपुर)।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोर्डिया, फलोदी (जोधपुर)।
6. श्रीमती मरियम्मा ए.पी. महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर